

स्नातक उपाधि कार्यक्रम
(बी.डी.पी.)

सत्रीय कार्य
2015-16

वाणिज्य में ऐच्छिक पाठ्यक्रम
ई.सी.ओ.-05 : व्यापारिक सन्नियम

जुलाई 2015 तथा जनवरी 2016 प्रवेश सत्र के लिए



प्रबंध अध्ययन विद्यापीठ
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
मैदान गढ़ी, नई दिल्ली-1100 68

वाणिज्य में ऐच्छिक पाठ्यक्रम
ई.सी.ओ.-05: व्यापारिक सन्नियम

सत्रीय कार्य – 2015–16

प्रिय छात्र/छात्राओं,

जैसा कि कार्यक्रम दर्शिका में स्पष्ट किया गया है, इस कार्यक्रम में आपको प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए एक सत्रीय कार्य करना है। सभी सत्रीय कार्य आपको एक साथ भेजे जा रहे हैं।

अंतिम परीक्षा में सत्रीय कार्य के लिए 30% अंक निर्धारित हैं। सत्रांत परीक्षा में बैठने योग्य होने के लिए यह आवश्यक है कि समय सूची के अनुसार आप इस सत्रीय कार्य को पूरा करके भेज दें। सत्रीय कार्य को करने से पहले आपको चाहिए कि कार्यक्रम दर्शिका में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें, जिसे आपके पास अलग से भेजा गया है।

यह सत्रीय कार्य दो प्रवेश सत्र अर्थात् (जुलाई 2015 और जनवरी 2016) के लिए वैध है, इसकी वैधता निम्नलिखित है :-

1. जो जुलाई 2015, में पंजीकृत है उनकी वैधता जून 2016 तक है।
2. जो जनवरी 2016, में पंजीकृत है उनकी वैधता दिसम्बर 2016 तक है।

यदि आप जून सत्रांत परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो इन्हें 15 मार्च तक अवश्य जमा कर दें। यदि आप दिसम्बर सत्रांत परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो आपके लिए आवश्यक है कि आप इसे 15 सितम्बर तक अध्ययन केंद्र के संयोजक के पास जमा कर दें।

अध्यापक जांच सत्रीय कार्य

पाठ्यक्रम का कोड	:	ई.सी.ओ.-05
पाठ्यक्रम का शीर्षक	:	व्यापारिक सन्नियम
सत्रीय कार्य का कोड	:	ई.सी.ओ.-05/टी.एम.ए./2015-16
खण्डों की संख्या	:	सभी खण्ड

अधिकतम अंक : 100

सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

- (क) "सभी अनुबन्ध करार होते हैं, परन्तु सभी करार अनुबन्ध नहीं होते।" टिप्पणी कीजिए।

(ख) 'प्रस्ताव' की परिभाषा दीजिए तथा "प्रस्ताव" एवं "प्रस्ताव के लिए निमन्त्रण" में उदाहरण सहित अन्तर बताइए।

(10+10)
- 'कपट' किसे कहते हैं? इसके आवश्यक तत्वों तथा परिणामों की व्याख्या कीजिए।

(6+14)
- निम्नलिखित का वर्णन कीजिए:

(क) अनुबन्ध के लिए अजनबी

(ख) हित के लिए एजेन्सी

(10+10)
- (क) गारंटीकर्ता का दायित्व मूल ऋणी के दायित्व के साथ सह-विस्तृत होता है। स्पष्ट कीजिए।

(ख) अपंजीकृत फर्म अवैध नहीं हाती, परन्तु इसके अधिकार प्रवर्तनीय नहीं होते। टिप्पणी कीजिए।

(10+10)
- विक्रय अनुबन्ध में विक्रेता से क्रेता को स्वामित्व हस्तांतरण के सम्बन्ध में नियम बताइए।

(20)